न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 60/2024

वादी :– नारायणलाल पुत्र श्री पुरखाराम जाति खारडिया सीरवी (बर्फा) निवासी बर्फो का नवोडा बिजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज. हाल डोडाबालापुरा बैंगलोर कर्नाटका–561204

बनाम

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–वादी की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट।

प्रतिवादी सं.1– सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः–** 07/08/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि कस्बा बिलाडा चक 4 में स्थित भूमि खसरा सं. 2470 रकबा 0.1942 हेक्टयर , खसरा सं. 2471 रकबा 1.5290 हैक्टयर, खसरा सं. 2474 रकबा 0.6068 हैक्टयर व खसरा सं. 2477 रकबा 1. 2863 हैक्टयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.6163 हैक्टयर स्थित है जिसमें वादी 1/4 हिस्सा स्थित है इसी प्रकार खसरा सं. 2475 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा सं. 2476 रकंबा 0.3074 हैक्टयर, खसरा सं. 2478 रकबा 0.1861 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.5501 हैक्टयर स्थित है जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा स्थित है इसी प्रकार खसरा सं. 2483 रकबा 1.7798 हैक्टयर, खसरा सं. 2484 रकबा 3.9317 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.7115 हैक्टयर स्थित है। जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा स्थित है सबूत के रूप में जमाबंदी सं. 2076 से 2079 के खाता सं. 337, 338 व 339 की नकल पेश है। इसी प्रकार बिलाडा चक 1 द्वितीय की सीमा में स्थित खसरा सं. 3309 रकबा 0.7119 हैक्टयर, खसरा सं. 3320/4 रकबा 0. 1294, खसरा सं. 3321/4 रकबा 0.5663 हैक्टयर कुल खसरे 3 कुल रकबा 1.4076 हैक्टयर स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा स्थित है सबूत के रूप में जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 146 की पेश है। वादी का वास्तविक नाम नारायणलाल पुत्र पुरखाराम जाति खारडिया सीरवी(बर्फा) निवासी बर्फो का नवोडा बिजवाडिया रोड बिलाडा है वादी नारायणलाल के नाम से पेन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, यूनियन बैंक के खाता एवं ग्राम पाटवा स्थित खातेदारी भूमि में इत्यादि में बने हुए है। जबकि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में नारायणलाल पुत्र पुरखाराम के स्थान पर हरीराम पुत्र पुरखाराम मानवीय भूल से वादी के नाबालिग अवस्था में जरिये विरासत दर्ज कर लिया गया। जबकि वादी का नाम कभी हरीराम नहीं रहा। वादी के परिवार में हरीराम नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। स्वर्गीय पुरखाराम के पुत्र संतान ने चन्दुलाल, मनोहरलाल व वादी नारायणलाल के रूप में तीन पुत्र संतान है। हरीराम पुत्र पुरखाराम खारडियास सीरवी (बर्फा) के नाम से वादी के परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वादी का नाम हरीराम के रूप में अशुद्धि को राजस्व रेकर्ड में सहवन से गलत इन्द्राज किया गया। वादी अपनी खातेदारी के राजस्व रेकर्ड में अपना

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

वास्तविक नाम अनुसार शुद्धि की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसलिए वाद घोषणा का पेश है।

अतः वादी द्वारा वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वाद के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम हरीराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर नारायणलाल पुत्र पुरखाराम के रूप में शुद्धि करने की घोषणा की जावे तथा तहसीलदार बिलाडा को आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश दिया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि पटवार मण्डल बिलाडा चक 4 के खसरा सं. 2470 रकबा 0.1942 हेक्टयर , खसरा सं. 2471 रकबा 1.5290 हैक्टयर, खसरा सं. 2474 रकबा 0.6068 हैक्टयर व खसरा सं. 2477 रकबा 1.2863 हैक्टयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.6163 हैक्टयर में 1/4 व खसरा सं. 2475 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा सं. 2476 रकबा 0.3074 हैक्टयर, खसरा सं. 2478 रकबा 0.1861 हैक्टयर कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.5501 हैक्टयर में 1/8 हि. आया हुआ है। इसी प्रकार खसरा सं. 2483 रकबा 1.7798 हैक्टयर, खसरा सं. 2484 रकबा 3.9317 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 5.7115 हैक्टयर है जिसमे वादी का 1/12 हि. आया हुआ है। पटवार मण्डल बिलाडा चक नं. 1 द्वितीय की सीमा में स्थित खसरा सं. 3309 रकबा 0.7119 हैक्टयर, खसरा सं. 3320/4 रकबा 0.1294, खसरा सं. 3321/4 रकबा 0.5663 हैक्टयर कुल खसरे 3 कुल रकबा 1.4076 हैक्टयर में 1/4 हि. है। जमाबंदी प्रति संलग्न है। वादी का प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नाम जरिये विरासत नामा. 3588 के जरिये पुरखाराम के फौत होने पर हरिराम दर्ज हुआ। नामा. की नकल संलग्न है। वादी द्वारा सरकारी दस्तावेज पेन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, व पासबुक इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम नारायणलाल पुत्र पुरखाराम होना बताया। वादी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपना नाम हरीराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर नारायणलाल पुत्र पुरखाराम करवाना चाहता है। पर सं. 4 से 8का जवाब कानूनी है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नम्बर 2470 रकबा 0.1942 हैक्टयर, खसरा सं. 2471 रकबा 1.5290 हैक्टयर, खसरा सं. 2474 रकबा 0.6068 हैक्टयर व खसरा सं. 2477 रकबा 1.2863 हैक्टयर में 1/4 हि. में व खसरा सं. 2475 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा सं. 2476 रकबा 0.3074 हैक्टयर, खसरा सं. 2478 रकबा 0. 1861 हैक्टयर में 1/8 हि. में व खसरा सं. 2483 रकबा 1.7798 हैक्टयर, खसरा सं. 2484 रकबा 3.9317 हैक्टयर में 1/12 वे हि. में, इसी प्रकार बिलाडा चक नं. 1 द्वितीय में स्थित खसरा नम्बर 3309 रकबा 0.7119 हैक्टयर, खसरा सं. 3320/4 रकबा 0.1294, खसरा सं. 3321/4 रकबा 0.5663 हैक्टयर में 1/4 में वादी का नाम हरीराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर नारायणलाल पुत्र पुरखाराम किये जाने की रिपोट पेश की है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र नारायणलाल पुत्र पुरखाराम पी.डब्ल्यू 1, चन्दूलाल पुत्र पुरखाराम पी.डब्ल्यू 2 का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा नम्बर 337 ग्राम बिलाडा चक 4 , प्रदर्श 2 पेन कार्ड नारायणलाल , प्रदर्श 3

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

आधार कार्ड फोटो प्रति, प्रदर्श 4 ड्राईविंग लाइसेन्स फोटो प्रति, प्रदर्श 5 यूनियन बैंक के खाता की फोटो प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 पैनकार्ड नारायणलाल पुत्र पुरखाराम, प्रदर्श 2 आधार कार्ड नारायणलाल पुत्र पुरखाराम, प्रदर्श 3 ड्राईविंग लाइसेन्स नारायणलाल पुत्र पुरखाराम, प्रदर्श 4 यूनियन बैंक आफॅ इण्डिया बैंक की डायरी नारायणलाल, प्रदर्श 5 मृत्यु प्रमाण पत्र गणकी देवी पत्नी पुरखाराम आदि दस्तावेज पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी का नाम सरकारी दस्तावेजात में नारायणलाल पुत्र पुरखाराम दर्ज किया हुआ है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम हरीराम पुत्र पुरखाराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं कर पा रहा है, इस कारण वादी राजस्व रेकर्ड में अपना नाम नारायणलाल पुत्र पुरखाराम की घोषणा कराने के अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने हरीराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर नारायणलाल पुत्र पुरखाराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 4 में स्थित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2470 रकबा 0.1942 हैक्टयर, खसरा सं. 2471 रकबा 1.5290 हैक्टयर, खसरा सं. 2474 रकबा 0.6068 हैक्टयर व खसरा सं. 2477 रकबा 1.2863 हैक्टयर में 1/4 हि. में व खसरा सं. 2475 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा सं. 2476 रकबा 0.3074 हैक्टयर, खसरा सं. 2478 रकबा 0.1861 हैक्टयर में 1/8 हि. में व खसरा सं. 2483 रकबा 1.7798 हैक्टयर, खसरा सं. 2484 रकबा 3.9317 हैक्टयर में 1/12 वे हि. में, इसी प्रकार बिलाडा चक नं. 1 द्वितीय में स्थित खसरा नम्बर 3309 रकबा 0.7119 हैक्टयर, खसरा सं. 3320/4 रकबा 0.1294, खसरा सं. 3321/4 रकबा 0.5663 हैक्टयर में 1/4 में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हरीराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर नारायणलाल पुत्र पुरखाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी :– नारायणलाल पुत्र श्री पुरखाराम जाति खारडिया सीरवी (बर्फा) निवासी बर्फो का नवोडा बिजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राज. हाल डोडाबालापुरा बैंगलोर कर्नाटका–561204

बनाम

प्रतिवादी :–
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 60/2024

निर्णय **दिनांक** :– 07/08/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 4 में स्थित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2470 रकबा 0.1942 हैक्टयर, खसरा सं. 2471 रकबा 1.5290 हैक्टयर, खसरा सं. 2474 रकबा 0.6068 हैक्टयर व खसरा सं. 2477 रकबा 1.2863 हैक्टयर में 1/4 हि. में व खसरा सं. 2475 रकबा 0.0566 हैक्टयर, खसरा सं. 2476 रकबा 0.3074 हैक्टयर, खसरा सं. 2478 रकबा 0.1861 हैक्टयर में 1/8 हि. में व खसरा सं. 2483 रकबा 1.7798 हैक्टयर, खसरा सं. 2484 रकबा 3.9317 हैक्टयर में 1/12 वे हिं. में, इसी प्रकार बिलाडा चक नं. 1 द्वितीय में स्थित खसरा नम्बर 3309 रकबा 0.7119 हैक्टयर, खसरा सं. 3320/4 रकबा 0.1294, खसरा सं. 3321/4 रकबा 0.5663 हैक्टयर में 1/4 में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हरीराम पुत्र पुरखाराम के स्थान पर नारायणलाल पुत्र पुरखाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा